भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 558
जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है ।
18 माघ, 1946 (शक)

एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए वेब स्क्रैपिंग

558. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपयोगकर्ताओं के डाटा की वेब स्क्रैपिंग से दुरुपयोग को विनियमित करने और रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि सोशल मीडिया कंपनियाँ डाटा की स्क्रैपिंग करने से पहले पूर्ण पारदर्शिता उपलब्ध कराए और उपयोगकर्ताओं की सुविज्ञ सहमति प्राप्त करें; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद जवाबदेही तंत्र क्या है कि सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा उपयोगकर्ताओं के स्क्रैप किए गए डाटा का उपयोग अनैतिक उद्देश्यों के लिए न हो?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल के प्रशिक्षण के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए सोशल मीडिया कंपनियों सहित किसी भी मध्यस्थ द्वारा किसी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपयोगकर्ता डेटा के संबंध में वेब स्क्रैपिंग को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और इसके नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। आईटी अधिनियम की धारा 43 कंप्यूटर प्रणाली तक अनधिकृत पहुँच के लिए दंड का प्रावधान करती है और प्रभावित पक्षों को नुकसान के लिए मुआवज़ा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री की होस्ट करने, प्रदर्शन करने, अपलोड या साझा करने से रोकने के लिए बाध्य करता है और उन्हें डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत डेटा पहुँच को रोकने के लिए उपायों को लागू करना होगा। साथ ही, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम") सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपयोगकर्ता डेटा की वेब स्क्रैपिंग सहित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण में शामिल संगठनों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के वैध प्रसंस्करण से पहले निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सहमति प्राप्त करने और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान सहित सुदृढ़ अनुपालन उपायों को लागू करने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा, डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के वैध प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र का एक सुदृढ़ ढांचा स्थापित करता है, जिसमें भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड एक स्वतंत्र निर्णायक निकाय है, जिसे शिकायतों की जांच करने, पूछताछ करने और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने के लिए सशक्त बनाया गया है।

****